भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3919
उत्तर देने की तारीख -17/03/2026

कुष्ठ रोग से पीडित परित्यक्त व्यक्तियों का पुनर्वास

3919. श्री भाऊसाहेब वाकचौरे:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुष्ठ रोगियों को अपने रोग की वजह से अक्सर समाज से बहिष्कृत किए जाने के कारण वे एक परित्यक्त सामाजिक समूह बन जाते हैं;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में विश्वास जगाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में पुन: शामिल करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
(ग) सरकार द्वारा परिवार के सदस्यों द्वारा त्याग दिए गए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्या कल्याणकारी पहल की जा रही हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से प्रशासित राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी), कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को दिव्यांगता निवारण और चिकित्सा पुनर्वास (डीपीएमआर) सेवाएँ प्रदान करता है, जिसमें स्व-देखभाल प्रशिक्षण, ड्रेसिंग सामग्री, सहायक दवाएं, माइक्रो-सेलुलर रबर (एमसीआर) के जूते और पात्र रोगियों के लिए मजदूरी के नुकसान की भरपाई हेतु कल्याण भत्ते के साथ मुफ्त पुनर्निर्माण सर्जरी शामिल है।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मल्टी ड्रग थेरेपी पूरी करने वाले कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों को समुदाय में अलग रखने (आइसोलेशन) की आवश्यकता नहीं होती है। कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्तियों के प्रति सामाजिक कलंक की धारणा को कम से कम करने के लिए सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत, "कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्ति" को धारा 2(ध) की अनुसूची के तहत गतिशील दिव्यांगता की व्यापक श्रेणी के अंतर्गत दिव्यांगता की एक अलग श्रेणी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। इस अधिनियम के तहत, समुचित सरकार और स्थानीय अधिकारी अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों सहित दिव्यांगजनों के व्यापक पुनर्वास उपाय करने हेतु अधिदेशित हैं। बैंचमार्क दिव्यांगता वाले कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 32 और 34 द्वारा उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, 18 वर्ष की आयु तक नि:शुल्क शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण आदि भी उन्हें उपलब्ध हैं जैसा कि अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है।

इसके अलावा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (DDRS) उन परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता अनुदान प्रदान करती है जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों का पुनर्वास करना है ताकि उन्हें इष्टतम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक-कार्यात्मक स्तर प्राप्त करने में मदद मिल सके। इस योजना में आठ मॉडल परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें से एक कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों (LCPs) के पुनर्वास के लिए गृह-आधारित और समुदाय-आधारित पुनर्वास के विकल्पों का प्रावधान करती है।
